भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3790

जिसका उत्तर मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

वाहनों द्वारा उत्सर्जन

3790. श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री नारणभाई काछड़िया:
डॉ सुनील बलीराम गायकवाड़:
कुँवर हरिवंश सिंह:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री विद्युत वरण महतो:
श्री सुल्तान अहमद:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निम्न उत्सर्जन के कारण फॉक्सबैगन जैसी धोखाधड़ी के प्रति देश की सुभेद्यता के संबंध में सेंटर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेंट (सीएसई) सहित विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त चिंताओं को संज्ञान में लिया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) की जांच की प्रणाली उभरती चुनौतियों से निपटने में सक्षम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वर्तमान वाहन प्रमाणन एजेंसियां जांच के लिए वाहनों का चयन नहीं करती बल्कि निर्माताओं को सम्यक नोटिस देती हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की जांच के लिए निष्पक्ष एजेंसियां/प्राधिकरण हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसे देश में कब शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी हां, सरकार प्रोटोटाइप वाहनों पर मौजूदा अनिवार्य प्रयोगशाला स्तरीय परीक्षणों के अलावा उपयोग के दौरान अनुपालन शुरू करने की योजना बना रही है। इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत स्टेज-V मानदण्डों की मसौदा अधिसूचना में शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग): एआरएआई ने सूचित किया है कि वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र ठहरे हुए वाहन के इंजन को खाली चलाने की स्थिति में केवल वाहनों के माप को दर्शाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर 10 स्वचालित आई एंड एम (निरीक्षण एवं अनुरक्षण) मॉडल केन्द्रों की योजना बनाई है। इन केन्द्रों के पास उत्सर्जनों को रोलर बेन्चिज़ पर मापने की योग्यता होगी, जहां वर्तमान में ठहरे हुए वाहनों पर किए जा रहे प्रदूषण नियंत्रण जांच की अपेक्षा वाहन उत्सर्जनों की कहीं अधिक यथार्थवादी माप की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना भी बनाई गई है कि पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) आधार पर अलग-अलग राज्यों में आई एंड एम केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह पहल कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही कर दी है और वे आई एंड एम केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

(घ): जी नहीं, परीक्षण एजेन्सियां परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार वाहनों का चयन करती हैं। विनिर्माताओं को सूचना दी जाती है ताकि प्रलेखन, वाहनों को अलग-अलग करने और उनका आवाजाही संबंधी कार्य ठीक तरह से किया जा सके।

(ङ) और (च): जी हां, संयुक्त राज्य अमरीका तथा दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में वाहनों का प्रमाणन विनिर्माताओं द्वारा स्वयं किया जाता है। संयुक्त राज्य अमरिका में, यदि कोई उल्लंघन हो तो, ईपीए/सीएआरबी स्वतंत्र रूप से जांच करते हैं। यूरोप में, जांच एजेन्सियां जैसे कि टीयूवी, वीसीए, आईडीआईएडीए थर्ड पार्टी प्रमाणन उपलब्ध कराती हैं। भारत यूरोपीय मॉडल का अनुसरण करता है। नए सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आवश्यक जांच की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय शुरू करने की योजना बना रहा है।

*****